प्रेस-नोट दिनांक- 06.09.2024, जनपद प्रतापगढ़

थाना जेठवारा, जनपद- प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी,

मारपीट/ गाली गलौज व हत्या के प्रयास के अभियोग में 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खपरैलन का पुरवा से 01 बाव अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.08.2024 को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खपरैलन का पुरवा में वादी के भाई के साथ आरोपीगणों द्वारा एकराय होकर गाली गलौज करने, जान से मारने की नियत से लाठी, डण्डा व धारदार हथियार से हमला करने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 212/24 धारा 115(2),191(2),352,351(2)118(2) बी0एन0एस0 बनाम 05 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष धमेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 संजय कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 212/24 धारा 115(2),191(2),352,351(2)118(2) बी0एन0एस0 से संबंधित 01 बाल अपचारी को क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खपरैलन का पुरवा से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- 01 बाल अपचारी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 संजय कुमार यादव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना अन्तू पुलिस द्वारा चैन स्नैचिंग की घटना का अनावरण

थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 02.09.2024 को मोटर साइकिल सवार 02 अज्ञात बदमाश स्कूटी सवार महिला के गले से चैन छीनकर भाग निकले थे

लूट के चेन की ब्रिकी का कुल 3800 रूपये बरामद

थाना अन्तू पुलिस द्वारा चैन स्नैचिंग की घटना में 01 बाल अपचारी क्षेत्रान्तर्गत पूरेअन्ती बाजार से गिरफ्तार

प्रतापगढ़।

दिनांक 02.09.2024 को थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत शुकुलपुर चौराहा के पास महिला के गले से चैन छीनकर मोटर साइकिल सवार 02 अज्ञात बदमाश के भाग निकलने की सूचना पर थाना अन्तू में प्राप्त तहरीर के आधार पर अन्तर्गत धारा 309(4) बीएनएस में पंजीकृत अभियोग से संबंधित 01 बाल अपचारी को लूट के चैन बिक्री का कुल 3800 रूपये के साथ थाना अन्तू पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के पर्यवेक्षण में दिनांक 06.09.2024 को थाना अन्तू से उ0नि0 राकेश चौरसिया मय हमराह व0उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव, उ0नि0 मनीष मिश्रा, का0 संदीप यादव, का0 मृत्युजंय चौधरी द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इलेक्ट्रॉनिक/मैनुअल साक्ष्यों व सर्विलांस टीम की मदद व मुखबिर की सूचना पर थाना अन्तू में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 309(4) बीएनएस से संबंधित 01 बाल अपचारी को लूट के चैन बिक्री का कुल 3800 रूपये के साथ थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत पूरेअन्ती बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 02.09.2024 को दोपहर में अपने साथी शेरबहादुर यादव उर्फ चबेल्ला पुत्र राजनारायण यादव उर्फ रंगई निवासी औराइन जाल्हेपुर पोस्ट मुजाही बाजार थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष के साथ मिलकर मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस से गड़वारा की ओर जाते समय शुकुलपुर चौराहे के पास स्कूटी से आ रही दो महिला में से पीछे बैठी एक महिला के गले की चैन छीनकर भाग गये थे। मैं वाहन को चला रहा था और पीछे मेरा साथी बैठा था।

शेरबहादुर यादव उपरोक्त ने चैन को कहीं ले जाकर बेंच दिया था जिसकी जानकारी नहीं है, चैन बिक्री का 05 हजार रूपये मुझे दिया था जिसमें खर्च होने के बाद यह बरामद पैसा बचा था।

बरामदगी – लूट की चैन बिक्री के 3800 रूपये।

पुलिस टीम - उ0नि0 राकेश चौरसिया मय हमराह व0उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव, उ0नि0 मनीष मिश्रा, का0 संदीप यादव, का0 मृत्युजंय चौधरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट का 01 ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

एसटीएफ प्रयागराज व थाना बाघराय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 01 गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत फुलपुर मौरी चौराहे के पास से जनपद प्रतापगढ को गिरफ्तार किया गया

गैंगसदस्य शातिर अभियुक्त/ईनामिया सुनील यादव पर गम्भीर धाराओं में थाना बाघराय में दर्ज है अभियोग

अभियुक्त द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहोल पैदा कर आम जनता को आतंकित व भयभीत कर अनाधिकृत रूप से प्राप्त करते हैं आर्थिक, भौतिक व अनुचित लाभ

गैंगस्टर/शातिर अभियुक्त सुनील यादव पुत्र शिव कुमार यादव निवासी पचमहुआडीह थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा 25,000/- रूपये का ईनाम घोषित किया गया था।

एएसपी पश्चिमी संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में गैगस्टर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार दी जा रही थी दबिश

प्रतापगढ़।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सूरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व

क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमर नाथ गुप्ता के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार थाना बाघराय के नेतृत्व में थाना बाघराय दिनांक 12.08.2024 को मु0अ0सं0 277/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 बनाम पंकज मिश्र पुत्र रामकृष्ण मिश्र निवासी पंचमहुआ थाना बाघराय, रमेश पाल पुत्र रामानन्द पाल निवासी पंचमहुआडीह थाना बाघराय, सुनील यादव पुत्र शिवकुमार यादव निवासी पंचमहुआडीह थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

जिसमें गैंगस्टर पंकज मिश्र व रमेश पाल पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं तथा गैंग सदस्य सुनील यादव उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी तथा शातिर अभियुक्त सुनील यादव की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा 25000/- रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 06.09.2024 को एसटीएफ प्रयागराज टीम से उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह हे0का0 प्रभन्जय पाण्डेय, हे0का0 प्रवीण जायसवाल, हे0का0 सुनील जायसवाल, हे0का0 चालक रामलखन पाल व उ0नि0 देवेन्द्र पाठक, का0 कृष्णाकान्त राय थाना बाघराय द्वारा संयुक्त रूप से पतारसी, सुरागरसी के क्रम में इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों व मुखबिर की सूचना पर शातिर अभियुक्त/गैंगस्टर सुनील यादव पुत्र शिवकुमार यादव निवासी पंचमहुआडीह थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत फुलपुर मौरी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

आपराधिक इतिहास -

गैंगस्टर सुनील यादव पुत्र शिवकुमार यादव निवासी पंचमहुआडीह थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ -

1- मु0अ0सं0 मु0अ0सं0- 302/22 धारा 147, 302, 120बी, 506 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

2- मु0अ0सं0- 277/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीमः-

1- एसटीएफ प्रयागराज टीम से, उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह हे0का0 प्रभन्जय पाण्डेय, हे0का0 प्रवीण जायसवाल, हे0का0 सुनील जायसवाल, हे0का0 चालक रामलखन पाल

2- उ0नि0 देवेन्द्र पाठक, का0 कृष्णाकान्त राय थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण

01 शातिर अभियुक्त को लूट का 01 टैबलेट व 4700 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया

थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 02.09.2024 को दोपहर में कुछ अज्ञात बदमाशों फाइनेंश कर्मी का बैग व 01 मोबाइल छीनकर भाग निकले थे, बैग में करीब 40 हजार रूपये व 01 टैब होना फाइनेंस कर्मी द्वारा बताया गया था

घटना के संबंध में थाना महेशगंज में अन्तर्गत धारा 309(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया था

एएसपी(पश्चिमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना महेशगंज पुलिस की बड़ी कार्यवाही

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा लूट की घटना से संबंधित 01 शातिर अभियुक्त को लूट के 01 टैबलेट (सैमसंग कम्पनी) व 4700 रूपये नकद के साथ क्षेत्रान्तर्गत बघवाइत नहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमर नाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में दिनांक 06.09.2024 को थाना महेशगंज से उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 अजय कुमार, हे0का0 इरफान अहमद, का0 बिपिन यादव, का0 लाल बहादुर वर्मा द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इलेक्ट्रॉनिक/मैनुअल साक्ष्यों व सर्विलांस टीम की मदद व मुखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 189/24 धारा 309(4) बीएनएस से संबंधित 01 शातिर अभियुक्त मुकेश सरोज पुत्र महेश उर्फ झगरू सरोज निवासी सांभरपुर निरयावां थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को लूट के 01 टैबलेट (सैमसंग कम्पनी) व 4700/- रूपये नकद के साथ क्षेत्रान्तर्गत बघवाइत नहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 02.09.2024 को दोपहर वह अपने 02 साथियों रिन्कू यादव पुत्र श्री यादव निवासी ग्राम बसावन लाला का पुरवा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ व एक व्यक्ति

अज्ञात जो रिन्कू के साथ गाड़ी पर आया हुआ था, मिलकर पूरे हरिकेश नहर पटरी पर एक मोटरसाइकिल सवार को गिराकर जबरदस्ती उसका बैग छीन लिए थे, बैग में 43 हजार रूपये व सैमसंग टैबलेट, एक पर्स जिसमें कुछ पैसा व पैनकार्ड था तथा जाते समय गाड़ी की चाबी और उसका मोबाइल भी छीनकर ले गये थे। जिसमें से मुझे 10 हजार रूपये व 01 टैब मिला था बाकी का पैसा व सामान रिन्कू व उसके साथी के पास है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम- मुकेश सरोज पुत्र महेश उर्फ झगरू सरोज निवासी सांभरपुर निरयावां थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी – लूट का 01 सैंमसंग टैबलेट व 4700/- रूपये।

पुलिस टीम - उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 अजय कुमार, हे0का0 इरफान अहमद, का0 बिपिन यादव, का0 लाल बहादुर वर्मा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ

शाखा डाकपाल बांसी के पद पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा विभिन्न खातों में दुर्वियोजन/गबन के संबंध में थाना रानीगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया

शाखा डाकघर ग्राम व पोस्ट बांसी थाना रानीगंज में तैनात था निलंबित डाकपाल

दिनांक 05.09.2024 को थाना रानीगंज में डाकपाल श्रीमान सिंह पुत्र रामबहादुर निवासी शाखा डाकपाल बाँसी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 316(5) बी0एन0एस में अभियोग पंजीकृत

प्रतापगढ़।

दिनांक 21.08.2024, 22.08.2024 तथा 23.08.2024 को विभिन्न मदों में शाखा डाकघर बांसी की सरकारी डिवाइस द्वारा 22 लाख 70 हजार 747 रूपये (2270747 रूपये) तथा शेष तिथि में अन्य राशि का अनुचित रूप से लेन-देन करने व बांसी डाकघर के नाम व दिनांक की सरकारी मोहर का दुरूप्रयोग करने व सरकारी दस्तावेजों के अनुपस्थित होने के संबंध में भारतीय डाक विभाग के प्रभारी उपमण्डलीय निरीक्षक, डाकघर पट्टी उप मण्डल प्रतापगढ़ की तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में दिनांक

05.09.2024 को डाकपाल श्रीमान सिंह पुत्र रामबहादुर निवासी शाखा डाकपाल बाँसी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध नियमानुसार मु0अ0सं0 313/24 धारा 316(5) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के द्वारा थाना रानीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 313/24 धारा 316(5) बीएनएस में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी / साक्ष्यों के आधार अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी रानीगंज को निर्देशित किया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी रानीगंज के पर्यवेक्षण में उपरोक्त मुकदमा 313/24 की अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 राजनारायण यादव मय हमराह हे0का0 गंगासागर द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0नं0-92/2018 धारा 138 एनआईए एक्ट थाना रानीगंज से संबंधित वारण्टी अभियुक्त मुकुन्दलाल पुत्र मुन्नू निवासी ग्राम आमापुर बेर्रा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ को भट्ठे के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

मुकुन्दलाल पुत्र मुन्नू निवासी ग्राम आमापुर बेर्रा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राजनारायण यादव मय हमराह हे0का0 गंगासागर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।